

IMMEDIATE

F No.77-15/2015-SP-II


भारत सरकार/ Government of India

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय/ Ministry of Youth Affairs and Sports

खेल विभाग/ Department of Sports

Shashtri Bhawan, New Delhi

Dated the 16 June, 2016



Secretary  
Sports Authority of India (SAI)  
JLN Stadium Complex,  
Lodhi Road, New Delhi.

**Subject:** Memorandum of Understanding (MoU) between India and Brunei Darussalam on cooperation in youth and sports affairs - regarding.

Sir,

I am directed to say that a Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between India and Brunei Darussalam on cooperation in youth and sports affairs on 2nd February 2016 at Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam) during visit of Vice President of India to Brunei and to forward herewith a copy of above MoU signed between India and Brunei Darussalam for information and taking further necessary action, if any.

Enclosure: as above.

Yours faithfully,

(S.P.S. Tomar)

Under Secretary to the Government of India  
Telefax: 011-23073206 (Email: [spstomar@nic.in](mailto:spstomar@nic.in))

on website Ph

h  
17/6/16

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF  
HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN  
OF BRUNEI DARUSSALAM  
ON  
COOPERATION IN YOUTH AND SPORTS AFFAIRS

The Government of The Republic of India, represented by the Ministry of Youth Affairs and Sports and The Government of His Majesty The Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, represented by the Ministry of Culture, Youth and Sports, and, (hereinafter individually referred to as the 'Participant' and collectively as the 'Participants');

Inspired by desire to promote and strengthen existing friendly relations and cooperation in the field of youth and sports affairs;

Have reached the following understanding:

**Paragraph 1: General Objective**

The Memorandum of Understanding will provide the framework within which detailed proposals for programmes of cooperation between the Participants in the field of sports and youth affairs and excellence are to be jointly considered on the basis of reciprocity and mutual benefit.

The Participants will endeavor to encourage and facilitate, as appropriate, the advancement of linkages and cooperation between and through the sports and youth agencies of the respective Government and the conclusion of arrangements for conducting cooperative activities and programmes in sports.

### **Paragraph 3: Financial Arrangements**

The financial arrangements to cover the expenses for the co-operative activities undertaken within the framework of this Memorandum of Understanding will be mutually decided upon by the respective Participants on a case by case basis subject to the availability of funds.

### **Paragraph 4: Implementation**

The Participants will make arrangements for the implementation and development of specific programmes under this Memorandum of Understanding through meetings, exchanges of letters or other instruments. Each Participant will be responsible for coordinating the implementation of its side of plans/ programmes. Such specific arrangements will cover the subject of cooperation, procedures, treatment of intellectual property, funding and other areas as determined by the Participants.

### **Paragraph 5: Amendments**

This Memorandum of Understanding may be amended by mutual consent in writing between the Participants.

### **Paragraph 6: Settlement of Disputes**

Any dispute or differences between the Participants arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by mutual consultation and negotiation.

भारत गणराज्य की सरकार

और

ब्रुनेई दारुस्सलाम के महामहिम सुल्तान व यांग डी-पेर्तुवान

की सरकार के बीच

युवा और खेल कार्यक्रम के क्षेत्र में सहयोग पर

समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा महामहिम सुल्तान और यांग डी-पेर्तुवान ऑफ ब्रुनेई दारुस्सलाम की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संस्कृति, युवा और खेल मंत्रालय (जिन्हें इसके बाद 'प्रतिभागी' तथा संयुक्त रूप से 'प्रतिभागियों' के रूप में संदर्भित किया गया है), ने युवा और खेल कार्यक्रम के क्षेत्र में विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने की भावना से प्रेरित होकर, निम्नलिखित समझौता किया है:

#### पैराग्राफ 1: सामान्य उद्देश्य

यह समझौता ज्ञापन ऐसी रूपरेखा प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत खेल और युवा कार्यक्रम तथा उत्कृष्टता के क्षेत्र में प्रतिभागियों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों से संबंधित विस्तृत प्रस्तावों पर पारस्परिकता तथा आपसी लाभ के आधार पर संयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

दोनों प्रतिभागी संबंधित अपनी-अपनी सरकार की खेल और युवा एजेंसियों के बीच और उनके माध्यम से संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने तथा खेलों में सहयोगात्मक कार्यकलापों और कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इंतजामों के निष्पादन को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए यथा उपयुक्त भरसक प्रयास करेंगे।

#### पैराग्राफ 2: सहयोग के क्षेत्र

1. प्रत्येक प्रतिभागी संबंधित अपने-अपने देशों में इस विषय-वस्तु को शासित करने वाले समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा राष्ट्रीय नीतियों के अध्यक्षीन युवा और खेल के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरसक प्रयास करेंगे।
2. पैराग्राफ 1 में संदर्भित सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों में आपसी सहमति के आधार पर तथा इससे प्राप्त होने वाले अनुभव तथा उत्पन्न होने वाले

#### पैराग्राफ 5: संशोधन

यह समझौता जापन प्रतिभागियों के बीच लिखित में आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकता है।

#### पैराग्राफ 6: विवाद समाधान

प्रतिभागियों के बीच इस समझौता जापन की व्याख्या या कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मतभेदों पर हुए किसी भी विवाद को आपसी परामर्श या वार्ता से शान्तिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा।

#### पैराग्राफ 7: प्रभाव में आना और पर्यावसान

यह समझौता जापन इसके हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभाव में आएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभाव में रहेगा। इसकी समाप्ति पर, इस समझौता जापन को प्रतिभागियों की आपसी सहमति से अगले तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

यह समझौता जापन किसी भी प्रतिभागी द्वारा दूसरे पक्ष को छह महीने का लिखित अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यदि इस समझौता जापन को समाप्त किया जाता है, इसके अंतर्गत दोनों प्रतिभागियों की आपसी सहमति के अध्यक्षीन की गई कोई भी व्यवस्था इन व्यवस्थाओं के अनुसरण में किए जाने वाले किन्हीं कार्यकलापों के पूरा किए जाने तक प्रभावी रहेंगे।

संबंधित सरकारों द्वारा इसके साक्षी के रूप में विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी ने इस समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बन्दर सेरी बेगावन (स्थान) में 2 फरवरी (दिनांक) वर्ष, 2016 को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक में दो मूल पाठों में हस्ताक्षरित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक और वैध। तथापि, व्याख्या के संबंध में कोई संदेह होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।